न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 30 / 2022(GCMS : 2022/50)

1. **करनैल सिंह** पुत्र जीवन सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एसडीपी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. **भुच्चर सिंह** पुत्र जीवन सिंह जाति जटसिख निवासी [illegible] एसडीपी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर — — — **प्रार्थीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर**
2. **गुरप्रीत सिंह पुत्र** गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. **गुरमीत कौर पत्नी** बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सुन्दरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर — — — **अप्रार्थीगण**

25.07.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री जरनैल सिंह टुरना उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वाना अधिवक्ता ने कथन किया कि **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत चक 3 एसडीपी तहसील सादुलशहर** के **मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 ता 5 गैर मुमकिन रास्ता, जिसमें पेड़ लगे हुए, के साथ चिपता हुआ 1–1 बिस्वा चौड़ा पश्चिम में से पूर्व की ओर का रास्ता मुरब्बा नम्बर 45 का किला नम्बर 6, 15, 16, 25 गैर मुमकिन रास्ता जिसमें पेड़ लगे हुए है के साथ चिपता हुआ 1–1 बिस्वा चौडा दक्षिण से उत्तर की ओर का रास्ता पत्थर लाईन के साथ मुताबिक नजरी** [illegible] **स्वीकृत रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये** [illegible] **था, जो कि इस न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधि**[illegible] **न्यायालय में सुनवाई** [illegible]**तकिल किया गया था।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि चक 3 एसडीपी के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 ता 5 एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 6, 15, 16, 25 गैर मुमकिन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है, परन्तु उक्त रकबा पर छोटे छोटे पेड़ लगे है, जिस कारण मौका पर रास्ता चालू नहीं है।

उनका आगे कथन था कि रास्ता पर पेड़ हटाने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र रास्ता से पेड़ हटवाकर रास्ता चालू किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने आदेश पारित किया कि **रास्ता से पेड़ हटाकर पेड़ों की निलामी की जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावे** ताकि रास्ता चालू हो सके। परन्तु उक्त आदेश की अपील अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा **माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की जो स्वीकार की गई।** जिसके खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.10.2019 के आदेश के विरूद्ध माननीय **राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की जो दिनांक 07.01.2022 को स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, सादुलश्हार हो आदेश दिया गया कि** पक्षकारों की सुनवाई की जाकर पेड़ों को हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर विधि सम्मत् आदेश पारित करें।

उनका आगे कथन था कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण अनवानी करनैल सिंह वगै. बनाम गुरप्रीत सिंह वगै. जो दिनांक 17.01.2022 को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को विधि सम्मत् आदेश पारित करने के लिए प्रेषित किया एवं अधीनस्थ न्याया[illegible] श्रीगंगानगर में जैरकार प्रकरण करनैल सिंह वगै. बनाम गु[illegible]03.2022 मे एक ही आदेश पारित होना है क्यों[illegible] के आदेश अनुसार उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर रास्ता से पेड़ हटवाने का [illegible]श पारित कर देता है, तो रास्ता चालू हो जावेगा। इसके लिए अलग से रास्ता स्वीकृत करवाने की प्रार्थी को आवश्यकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण जो सादुलशहर में मुंतकिल किया जाता है तो उसमें आदेश पारित करने में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को आसानी होगी एवं पक्षकरों को न्याय भी मिल जावेगा।

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 स्वयं भी स्वीकार करते है कि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृत है एवं रास्ता मे छोटे छोटे पेड़ है, जिस कारण रास्ता चालू नहीं हो पा रहा है। **अगर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पेड़ हटवाने की सहमति दे देते है तो रास्ता चालू हो जावेगा।** जिसके लिए कोई प्रकरण लगाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण संख्या 83/2021 अनवानी करनैल सिंह वगै. बनाम गुरप्रीत सिंह वगै., न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए गलत तथ्य दर्ज किये गये है क्योंकि **प्रार्थीगण को पहले से ही मुरब्बा में आने जाने के लिए स्वीकृत रास्ता है उसी से प्रार्थीगण आते जाते है, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से नया रास्ता स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था** जिससे अप्रार्थीगण को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके और उनकी भूमि और रास्ते में ली जावे। इस पर अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण सादुलशहर में रास्ते हेतु विचाराधीन था उसको मुन्तकिल करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया था और प्रार्थीगण द्वारा कोई [illegible] नहीं किया गया था इसलिए प्रार्थीगण पर विबन्धन का सिद्धान्त लागू होता है क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर मे सुनवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया था जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा कोई भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

निगरानी या अपील राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

उनका आगे कथन था कि चक 3 एसडीपी के मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 1 ता 5 व मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 6, 15, 16 व 25 में गैर मुमकिन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए गलत तथ्य दर्ज किये गये है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा जो पेड़ों की नीलामी के आदेश दिये थे वह विधि विरूद्ध बिना मौके देखे दिये गये थे और अप्रार्थीगण की अपील स्वीकार कर ली गई व उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के आदेश निरस्त कर दिये गये।

उनका आगे कथन था कि जो **आदेश राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा करनैल सिंह बनाम गुरप्रीत सिंह वगै. में दिये गये थे वह आदेश पेड़ों की नीलामी के सम्बन्ध में थे और जो विवाद उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में विचाराधीन करनैल सिंह वगै. बनाम गुरप्रीत सिंह वगै. है, वह रास्ते के सम्बन्ध में है।** प्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसी आधार पर पर खारिज होने योग्य है, क्योंकि प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत है जो मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 1 ता 5 व मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 5, 6, 15, 16 व 24 में है जो कि रास्ता मौका पर चालू है और रास्ते में न ही पेड़ है।

उनका आगे कथन था कि प्रार्थीगण राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है और अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर अप्रार्थीगण को मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान कर रहे है क्योंकि प्रार्थीगण की [illegible] आने जाने हेतु स्वीकृत रास्ता है जो कि मौका पर चालू है और [illegible] किसी प्रकार का अवरोध पैदा कर रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वयं खारिज किया जावे व अप्रार्थीगण को विशेष हर्जाना व मुकदमा खर्चा दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 80/21 अनवानी करनैल सिंह वगै. बनाम गुरप्रीत सिंह वगै. उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया है। **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।** इस न्यायालय को **धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है** अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि वर्तमान प्रकरण पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन था **जिसे उभयपक्ष की सहमति के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय से प्रकरण को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2021 से उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में मुन्तकिल किया गया था जिसे प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को पुनः उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में मुंतकिल करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।**

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने एक अन्य प्रकरण में चक 3 एसडीपी के मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 5, 6, [illegible] 25 व मु.नं. 46 के किला नं 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. [illegible] उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता के बीच में **छोटे बड़े पेड को हटाने के आदेश दिनांक 24.09.2019 को दिये गये थे।**

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के उक्त आदेश दिनांक 24.09.2019 के विरुद्ध अप्रार्थीगण गुरप्रीत सिंह वगै. ने **एक अपील माननीय राजस्व अपील**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश की, जिसे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर अपने आदेश दिनांक 17.10.2019 से प्रार्थी की अपील स्वीकार कर ली।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 17.10.2019 के विरूद्ध प्रार्थीगण करनैल सिंह वगै. ने एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पेश की जिसे माननीय मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 07.01.2022 से उक्त निगरानी उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को रिमाण्ड कर दी।

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है, वह उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा पूर्व में अपने निर्णय दिनांक 17.10.2019 जिससे पेडों को हटाये जाने की स्वीकृति प्रदान करने से सम्बन्धित है और उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय की धारा 251ए का है, जो **पूर्व में उभयपक्ष की सहमति से उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से ही उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दिनांक 22.02.2021 को स्थानान्तरित किया गया था, जिसे प्रार्थीगण पुनः उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है।**

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में माननीय मण्डल से रिमाण्डेड प्रकरण और उक्त धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण अलग–अलग प्रकृति के है। **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 80/[illegible]नी करनैल सिंह वगै. बनाम गुरप्रीत सिंह वगै पूर्व में उ[illegible] ही अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा दिनांक 22.02.2021 को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगनगर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया था,** जिसे प्रार्थीगण पुनः उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में स्थानानान्तरित करवाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी द्वारा यह केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है कि यदि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर रास्ते से पेड़ हटवाने का आदेश पारित कर देता है तो रास्ता चालू हो जायेगा और इसके लिए अलग से रास्ता स्वीकृत करवाने की प्रार्थी को आवश्यकता ही नहीं है। **मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना में अंकित तथ्य एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख मुकद्दमा मुंतकिल हेतु कोई आधार नहीं ठहरते है।** इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:08 IST
Reason: SelfAttested